

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1971/2014/अलवर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-तृतीय, वृत्त-अ, अलवर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स जे.बी.एल्यूमिनियम एण्ड ग्लास डेकोर,
स्टेशन रोड़, अलवर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक
श्री ओ. पी. गुप्ता,
अधिकृत प्रतिनिधि


.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 09/09/2016

निर्णय

1. यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट-तृतीय, वृत्त अ, अलवर (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) ने अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के रेक्टिफिकेशन प्रार्थना-पत्र संख्या 01/RVAT/2014-15 में पारित किये गये आदेश दिनांक 01.05.2014, के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। सक्षम अधिकारी ने अपीलीय आदेश दिनांक 01.11.2013 में वैट अधिनियम की धारा 33 के तहत संशोधन प्रार्थना पत्र दिनांक 03.04.2014 को प्रस्तुत कर संशोधन की मांग की गई थी, को अपीलीय अधिकारी ने अस्वीकार किया है, जिसे इस अपील में विवादित किया गया है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील संख्या 165/आरवैट/2012-13/उपा/अपील्स/अलवर आदेश दिनांक 1.11.2013 के द्वारा वैट अधिनियम की धारा 76(6) के पारित शास्ति आदेश को अपास्त करते हुये अपील स्वीकार की गयी। इसके पश्चात दिनांक 07.04.2011 को संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलीय अधिकारी से निवेदन किया गया कि पारित निर्णय में प्रकरण से संबंधित तथ्यों पर विचार किये बिना ही आदेश पारित किये जाने से संशोधन योग्य है। प्रार्थना पत्र में जाहिर किया गया कि परिवहनित माल की चैकिंग के दौरान प्रस्तुत वैट घोषणा-पत्र अवधिपार होने से वैट अधिनियम की धारा 76(2)(b) का उल्लंघन होने से सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था किन्तु स्वयं व्यवसायी की ओर से अपराध स्वीकार करने पर शास्ति आरोपित की गई थी, जो कि पूर्णतया उचित थी।



लगातार.....2


3. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने संशोधन प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है। अपीलीय अधिकारी का आदेश त्रुटिपूर्ण बताते हुये अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

4. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया। अपने पक्ष में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :-

- (A) 29 टैक्स अपडेट पेज 253 (एस.सी.) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज
- (B) 9 टैक्स अपडेट पेज 210 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स जे.पी.सिंह एण्ड सन्स, गंगानगर
- (C) 17 टैक्स अपडेट पेज 150 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मै एलास्टोमेक इण्डिया प्रा.लि. उदयपुर
- (D) आरटीआर 26 राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स जे.के.इण्डस्ट्रीज लिमिटेड कांकरोली
- (E) 35 टैक्स अपडेट पेज 316 मैसर्स जे.पी.फूडस बनाम सहायक आयुक्त, उदयपुर
- (F) एफ 36 टैक्स अपडेट पेज 94 वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स हिन्दुस्तान यूनीलिवर लिमिटेड अजमेर
- (G) 37 टैक्स अपडेट पेज 1 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स ओम स्टील्स अजमेर

5. बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया तथा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सक्षम अधिकारी द्वारा वेत अधिनियम की धारा 76(6) के अंतर्गत शास्ति आदेश दिनांक 23.10.2012 को पारित किया गया। जिसके विरुद्ध व्यवहारी द्वारा अपील दायर किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 01.11.2013 को अपील निर्णीत करते हुये शास्ति को अविधिक व अनुचित ठहराते हुये शास्ति को अपास्त करते हुये अपील स्वीकार की गयी। सक्षम अधिकारी ने दिनांक 03.04.2014 को संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलीय आदेश को इस आधार पर कि व्यवहारी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था किन्तु स्वयं व्यवसायी की ओर से अपराध स्वीकार करने पर शास्ति आरोपित की गयी थी, जो कि उचित थी। हस्तगत




लगातार.....3

प्रकरण में विवादित बिन्दु यह है कि अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 01.11.2013 संशोधन योग्य है अथवा नहीं। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स मक्कड प्लास्टिक के मामले में दी गयी व्यवस्था निम्न प्रकार है :-

"The scope and ambit of the power which could be exercised under section 37 of the Act of 1994 is circumscribed and restricted within the ambit of the power vested by the said Section. Such a power is neither a power of review nor is akin to the power of revision but is only a power to rectify a mistake apparent on the face of the record. Rectification implies the correction of an error or a removal of defects or imperfections. It implies an error, mistake or defect which after rectification is made right (ii) When the subsequent order dated 22-01-2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinised it would be clear/apparent that the Taxation Board while passing the order exceeded its jurisdiction by re-appreciating the evidence on record and holding that there was no mala fide intention on the part of assessee-respondent for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to come to a contrary finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records. (iii) the orders passed by the Taxation Board on 22-01-2009 as also the impugned order and judgement passed by the High Court upholding the said order of the Taxation Board are hereby set aside and quashed and the original order passed by the Assessing Officer is restored"

7. माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के प्रकाश में अपीलीय अधिकारी द्वारा धारा 33 में संशोधन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है। अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

 03/09/2014

(मनोहर पुरी)
सदस्य